

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 208]

भोपाल, गुरुवार, दिनांक 2 जुलाई 2020—आषाढ़ 11, शक 1942

नगरीय विकास एवं आवास विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 2 जुलाई 2020

क्रमांक 100-एफ-1-08-2020-अठारह-3.—मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 (क्र. 37 सन् 1961) की धारा 5 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) में प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार द्वारा नीचे दी गयी सारणी के कॉलम (2) में उल्लेखित अधिसूचना के माध्यम से कॉलम (3) में उल्लेखित नगर परिषदों का गठन किया गया:—

सारणी

क्रं.	अधिसूचना क्रं./दिनांक	नगर परिषद का नाम	जिला
1	2	3	4
1	41-एफ-1-33-2018-अठारह-3 दि. 04 अक्टूबर 2018	सिराली	हरदा
2	42-एफ-1-34-2018-अठारह-3 दि. 04 अक्टूबर 2018	घोड़ाडोंगरी	बैतूल
3	42-एफ-1-34-2018-अठारह-3 दि. 04 अक्टूबर 2018	शाहपुर	बैतूल
4	21-एफ-1-16-2016-अठारह-3 दि. 26 सितम्बर 2016 संशोधित अधि. क्रं. 09 एफ-1-16/2016/18-3 दि. 31/03/17	भैंसोदा मण्डी भैंसोदा	मंदसौर
5	17-एफ-1-2-2018-अठारह-3 दि. 29 सितम्बर 2018	रन्नौद	शिवपुरी

6	34-एफ-1-36-2018-अठारह-3 दि. 29 सितम्बर 2018	रौन	भिण्ड
7	39-एफ-1-28-2018-अठारह-3 दि. 04 अक्टूबर 2018	मालनपुर	भिण्ड
8	28-एफ-1-22-2018-अठारह-3 दि. 20 सितम्बर 2018	डभौरा	रीवा
9	17-एफ-1-16-2016-अठारह-3 दि. 26 सितम्बर 2016	बकहो	शहडोल
10	18-एफ-1-16-2016-अठारह-3 दि. 26 सितम्बर 2016	डोला	अनूपपुर
11	19-एफ-1-16-2016-अठारह-3 दि. 26 सितम्बर 2016	डूमरकछार	अनूपपुर
12	15-एफ-1-16-2016-अठारह-3 दि. 26 सितम्बर 2016	मानपुर	उमरिया
13	40-एफ-1-24-2018-अठारह-3 दि. 04 अक्टूबर 2018	बिलहरा	सागर
14	42-एफ-1-34-2018-अठारह-3 दि. 04 अक्टूबर 2018	सुरखी	सागर
15	13-एफ-1-30-2017-अठारह-3 दि. 22 मार्च 2018	मालथौन	सागर
16	12-एफ-1-31-2017-अठारह-3 दि. 22 मार्च 2018	बांदरी	सागर
17	32-एफ-1-31-2018-अठारह-3 दि. 29 सितम्बर 2018	केवलारी	सिवनी
18	2-एफ-1-30-2014-18-3 दि. 4 जनवरी 2016	छपारा	सिवनी
19	16-एफ-1-50-2017-अठारह-3 दि. 16 अप्रैल 2018	बिस्टान	खरगौन
20	24-एफ-1-3-2018-अठारह-3 दि. 31 जुलाई 2018	ठीकरी	बड़वानी
21	35-एफ-1-32-2018-अठारह-3 दि. 29 सितम्बर 2018	बाग	धार
22	38-एफ-1-25-2018-अठारह-3 दि. 04 अक्टूबर 2018	गंधवानी	धार

राज्य शासन द्वारा अधिसूचना क्रमांक 89-एफ-1-08-2020-अठारह-3, दिनांक 7 मार्च 2020 के द्वारा कॉलम (2) में उल्लेखित अधिसूचनाओं के माध्यम से कॉलम (3) में उल्लेखित नगर परिषदों के गठन की अधिसूचनाओं को रद्द किया गया है।

जनगणना 2021 के दृष्टिगत जनगणना नियम, 1990 के नियम 8(iv) के प्रावधानों के अंतर्गत 01 जनवरी 2020 के उपरांत प्रशासनिक इकाइयों की सीमाओं में परिवर्तन करने का प्रतिषेध किया गया है।

अतैव, उपरोक्त के दृष्टिगत राज्य शासन, एतद्वारा, अधिसूचना क्रमांक 89-एफ-1-08-2020-अठारह-3, दिनांक 7 मार्च 2020 को प्रतिसंहत करता है, इसके फलस्वरूप उपरोक्त 22 नगर परिषदें पूर्वानुसार गठित रहेगी।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राजीव निगम, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 2 जुलाई 2020

क्रमांक एफ-1-08-2020-अठारह-3.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक 100-एफ-1-08-2020-अठारह-3, दिनांक 2 जुलाई 2020 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राजीव निगम, उपसचिव.

Bhopal, the 2nd July 2020

Noti. No.-100-F-1-08-2020-XVIII-3.—In exercise of the powers conferred by Section-5(1)(b) of the Madhya Pradesh Municipalities Act, 1961 (No. 37 of 1961), the State Government *vide* notifications as mentioned in Column (2) constituted various Nagar Parishads as mentioned in Column (3) of the Table given below:—

TABLE

Sr.N.	Notification No./Date	Name of Nagar Parishad	Distt.
1	2	3	4
1	41-F-1-33-2018-XVIII-3 Dated 4 Oct 2018	Sirali	Harda
2	42-F-1-34-2018-XVIII-3 Dated 4 Oct 2018	Ghodadongri	Betul
3	42-F-1-34-2018-XVIII-3 Dated 4 Oct 2018	Shahpur	Betul
4	21-F-1-16-2016-XVIII-3 Dated 26 Sep 2016 Revised notification No.09 F 1-16-2016-18-3, Dated 31 Mar 2017	Bhainsoda Mandi Bhainsoda	Mandsaur
5	17-F-1-2-2018-XVIII-3 Dated 2 May 2018	Rannod	Shivpuri
6	34-F-1-36-2018-XVIII-3 Dated 29 Sep 2018	Roun	Bhind
7	39-F-1-28-2018-XVIII-3 Dated 4 Oct 2018	Malanpur	Bhind
8	28-F-1-22-2018-XVIII-3 Dated 20 Sep 2018	Dabhura	Rewa

9	17-F-1-16-2016-XVIII-3 Dated 26 Sep 2016	Bakaho	Shadol
10	18-F-1-16-2016-XVIII-3 Dated 26 Sep 2016	Dola	Anuppur
11	19-F-1-16-2016-XVIII-3 Dated 26 Sep 2016	Doomarkachhar	Anuppur
12	15-F-1-16-2016-XVIII-3 Dated 26 Sep 2016	Manpur	Umaria
13	40-F-1-24-2018-XVIII-3 Dated 4 Oct 2018	Bilhara	Sagar
14	42-F-1-34-2018-XVIII-3 Dated 4 Oct 2018	Surkhi	Sagar
15	13-F-1-30-2017-XVIII-3 Dated 22 Mar 2018	Malthaun	Sagar
16	12-F-1-31-2017-XVIII-3 Dated 22 Mar 2018	Bandri	Sagar
17	32-F-1-31-2018-XVIII-3 Dated 29 Sep 2018	Kewlari	Seoni
18	2-F-1-30-2014-18-3 Dated 4 Jan 2016	Chhapara	Seoni
19	16-F-1-50-2017-XVIII-3 Dated 16 Apr 2018	Bistan	Khargone
20	24-F-1-3-2018-XVIII-3 Dated 31 July 2018	Theekri	Barwani
21	35-F-1-32-2018-XVIII-3 Dated 29 Sep 2018	Baag	Dhar
22	38-F-1-25-2018-XVIII-3 Dated 4 Oct 2018	Gandhwani	Dhar

Vide notification no 89-F-1-08-2020-XVIII-3 dated 7th March, 2020 the State Government denotified the constitution of Nagar Parishads as mentioned in Column 3 vide notification as mentioned in Column 2.

Due to Census 2021, as per rule 8(iv) of Census rules, 1990, change in the boundaries of administrative units, after 1st January, 2020 is prohibited.

As such, the State Government, hereby revokes the notification no. 89-F-1-08-2020-XVIII-3 dated 7th March, 2020 as a result above mentioned 22 Nagar Parishads, as earlier, will remain constituted.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
RAJIV NIGAM, Dy. Secy.